राजस्थान-सरकार

न्यायालय तहसीलदार नवलगढ़ जिला झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी --कपिल कुमार (आर.टी.एस.) प्रकरण सं0:- 32 / 2018

अन्तर्गत धारा 91 राज.भू-राज.अधिनियम 1956

सरकार बनाम श्री टोडाराम पुत्र रामकुमार जाति माली निवासी पहाड़ीला त. नवलगढ़।

-: निर्णय :- दिनांक 13.12.2019

पत्रावली पेश हुई। अप्रार्थी अनुपस्थित पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया गया। संक्षेप में प्रकरण का विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का चिराना की रिपोर्ट के अनुसार ग्राम पहाड़ीला स्थित भूमि खसरा नम्बर 498 रकबा 0.05 हैक्टेयर किस्म (बजंड 0.01 एवं चाही प्रथम 0.04) खातेदारी मन्दिर श्री गोपाल जी दर्ज रिकॉर्ड में से 75 वर्गमिटर भूमि पर दुकान व चबूतरा बनाकर श्री टोडाराम पुत्र रामकुमार जाति माली निवासी पहाड़ीला तहसील नवलगढ़ (राज.) द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया। राजस्थान सरकार के परिपत्र राजस्व (ग्रुप-6) प्रकरण क्रमांक 3(2) राज / 2007 / पार्ट / 5 दिनांक 12.09.2018 की पालना में राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत दर्ज रजिस्टर कर अतिक्रमी को नोटिस जारी किये गये। तामिल पश्चात अप्रार्थी नियत तिथि को उपस्थित होकर जवाब पेश किया जिसे शमिल पत्रावली किया गया। जवाब अनुसार उपरोक्त भूमि को अपने कब्जे में और पुराने समय में अपनी खातेदारी में होना बताया है जो गलत रिकॉर्ड मूर्ति मन्दिर के नाम बन गया बताया है जिसकी सूचना लगने पर सक्षम न्यायालय में वाद दायर कर दिया गया है। दायर वाद की सत्यप्रतिलिपि पेश की जाकर प्रकरण में धारा 91 की कार्यवाही निरस्त करने का निवेदन किया गया है।

अतः गिरदावर हल्का, चिराना एवं पटवारी हल्का, चिराना तथा अप्रार्थी द्वारा पेश किया गया जवाब एवं पत्रावली में शामिल दस्तावेजो का अवलोकन एव मनन किया राजस्व रिकॉर्ड अनुसार वर्तमान में उक्त खसरा नम्बर 498 रकबा 0.05 हैक्टेयर किस्म (बजंड 0.01 एवं चाही प्रथम 0.04) खातेदारी मन्दिर श्री गोपाल जी दर्ज रिकॉर्ड है जो राजस्थान सरकार के परिपत्र राजस्व (ग्रुप-6) प्रकरण क्रमांक 3(2) राज / 2007 / पार्ट / 5 दिनांक 12.09.2018 की पालना में राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत अतिक्रमी माना जाकर अतिक्रमी के विरूध नियमानुसार कार्यवाही कि जानी है।

अतः पटवारी हल्का, चिराना एवं गिरदावर हल्का की रिपोर्ट अनुसार अतिक्रमी को मौके पर बेदखल किये जाने के आदेश दिये जाते है। अप्रार्थी द्वारा किये गये अतिक्रमण के फलस्वरूप अप्रार्थी को शरह लगान का 50 गुणा अर्थात् 23 / - रूपये के आर्थिक दण्ड (तावान) से दण्डित किया जाता है। तावान् कायमी हेतु तहसील राजस्व लेखाकार को तहरीर जारी हो। अतिक्रमी की भौतिक बेदखली हेतु भू.अ. निरीक्षक व पटवारी हल्का चिराना को लिखा जावे तावान की वसूली हेतु पटवारी को लिखा जाकर पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो वाद तकमिल जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 13.12.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Kapil Kumar
Date: 2021.02.19 14:37:12 IST
Reason: SelfAttested

(कपिल कुमार)
तहसीलदार नवलगढ़

खाते सं. 4 वर्ष 19-20 के पृ. 29 पर 23/- की मांग कायम की गई। 17/01/2020
तहसील राजस्व लेखाकार
तहसील, नवलगढ़

Scanned by CamScanner